कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी (जिला बाल संरक्षण इकाई) महिला एवं बाल विकास विभाग जिला जांजगीर–चांपा छ0ग0

//संशोधित प्रेस विज्ञप्ति//

मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई हेतु संविदा स्वीकृत पदों में नियुक्ति हेतु विज्ञापन

मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई में 02 स्वीकृत संविदा पदों की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र दिनांक 9.02.2026 से दिनांक 25/02/2026 तक तक केवल स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एंव बाल विकास विभाग कलेक्टर परिसर जिला–जाजंगीर–चांपा(छ.ग) के पते पर निर्धारित तिथि तक आमंत्रित किए गये हैं।

उक्त विज्ञापन की कंडिका क. 16.3 में त्रुटिवश आवेदन पत्र वॉक इन इन्टरव्यू दिनांक को सीधे स्वीकार किये जायेंगे ।आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से स्वीकार नहीं किये जायेगें लिखा गया है जिसे आवेदन पत्र प्राप्ति अंतिम दिनांक तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से स्वीकार किये जायेगें पढ़ा जाये। विज्ञापन की विस्तृत जानकारी जिले की वेबसाइट https://janjgir-champa.gov.in व कार्यालय के सूचना पटल पर देखी जा सकती है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला : जॉजगीर–चॉपा (छ.ग.)

पृ0क0/756/आईसीपीएस/मबावि/2025–26 जांजगीर, दिनांक 6/2/2026

प्रतिलिपि:–

01. संचालक, महिला एंव बाल विकास विभाग नवा रायपुर अटल नगर(छ.ग) को सादर सूचनार्थ।
02. कलेक्टर जिला–जांजगीर चांपा को सादर सूचनार्थ।
03. उपसंचालक जनसम्पर्क विभाग जिला–जांजगीर–चांपा(छ.ग) की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति को प्रमुख समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करेंगें।
04. जिला सूचना एंव विज्ञान अधिकारी(एन.आई.सी.) जिला–जांजगीर–चांपा को सूचनार्थ कर लेख है कि उक्त विज्ञापन को जिले की वेबसाईट में अपलोड करने का कष्ठ करेंगें।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला : जॉजगीर–चॉपा (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी (जिला बाल संरक्षण इकाई) महिला एवं बाल विकास विभाग जिला जांजगीर–चांपा छ0ग0

//प्रेस विज्ञप्ति//

मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई हेतु संविदा स्वीकृत पदों में नियुक्ति हेतु विज्ञापन

मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई में 02 स्वीकृत संविदा पदों की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र दिनांक 9.02.2026 से दिनांक 25/02/2026 तक तक केवल पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से आवेदन जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एंव बाल विकास विभाग कलेक्टर परिसर जिला–जाजंगीर–चांपा(छ.ग) के पते पर निर्धारित तिथि तक आमंत्रित किए जाते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा विज्ञापन की विस्तृत जानकारी जिले की वेबसाइट https://janjgir-champa.gov.in व कार्यालय के सूचना पटल पर देखी जा सकती है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला : जाँजगीर–चाँपा (छ.ग.)

पृ0क0/755/आईसीपीएस/मबावि/2025–26 जांजगीर, दिनांक 5 / /2026

प्रतिलिपि:–

01. संचालक, महिला एंव बाल विकास विभाग नवा रायपुर अटल नगर(छ.ग) को सादर सूचनार्थ।
02. कलेक्टर जिला–जांजगीर चांपा को सादर सूचनार्थ।
03. उपसंचालक जनसम्पर्क विभाग जिला–जांजगीर–चांपा(छ.ग) की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति को प्रमुख समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करेंगे।
04. जिला सूचना एंव विज्ञान अधिकारी(एन.आई.सी.) जिला–जांजगीर–चांपा को सूचनार्थ कर लेख है कि उक्त विज्ञापन को जिले की वेबसाईट में अपलोड करने का कष्ठ करेंगें।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला : जाँजगीर–चाँपा (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी

महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला—जांजगीर—चाम्पा (छ.ग.)

ई—मेलआई.डी. —janjgirdcpu@gmail.com

क्रमांक / ..../ म.बा.वि. / मि.वा. / 2025—26 जाजंगीर दिनांक....... / .... / 2026

मिशन वात्सल्य के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई, किशोर न्याय बोर्ड एवं बालक कल्याण समिति में संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन

भारत शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा स्वीकृत मिशन वात्सल्य योजना के प्रावधानों एवं स्वीकृति अनुसार मिशन वात्सल्य योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई में सामाजिक कार्यकर्ता एवं आउटरीच वर्कर संविदा पदों पर भर्ती हेतु पात्र आवेदको से दिनांक 25/02/2026.....तक केवल पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से आवेदन जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एंव बाल विकास विभाग कलेक्टर परिसर जिला—जाजंगीर—चांपा(छ.ग) के पते पर आमंत्रित किए जाते हैं। विज्ञापित पद का विवरण निम्नानुसार है :—

1. जिला बाल संरक्षण इकाई— जांजगीर—चाम्पा में रिक्त पदों का विवरण

क्रं	पदनाम	पद संख्या					निर्धारित एकमुश्त मासिक वेतन
		अना.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.व.	योग	
1.	सामाजिक कार्यकर्ता	0	0	1	0	01	18536/-
2.	आउटरीच वर्कर	01	0	0	0	01	10592/-

2. जिला बाल संरक्षण इकाई हेतु शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव :—

क्रं.	पदनाम	अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	अनिवार्य कौशल	अनिवार्य न्यूनतम अनुभव	वांछनीय योग्यता
1.	सामाजिक कार्यकर्ता	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य/समाजशास्त्र/ सामाजिक विज्ञान में स्नातक।	कम्प्यूटर पर एम.एस. ऑफिस/टेली तथा कम्प्यूटर/वेब आधारित अन्य साफ्टवेयर में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए।	शासकीय/अशासकीय संस्थाओं में अधिमानतः (Preferably) महिला बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का 01 वर्ष का कार्य अनुभव	—
2.	आउटरीच वर्कर	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/समकक्ष बोर्ड से 12 वीं उत्तीर्ण	अच्छा संचार कौशल	शासकीय/अशासकीय संस्थाओं में अधिमानतः (Preferably) महिला बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का 01 वर्ष का कार्य अनुभव	—

3. पदों की संख्या परिवर्तनीय हो सकती है।
4. शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य किया जायेगा। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के दस्तावेज आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से आवेदन के साथ संलग्न होना चाहिए, अन्यथा आवेदन मान्य नहीं किया जावेगा।
5. आयु सीमा—

5.1 सभी पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु 01 जनवरी 2026 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। इन पदों हेतु इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप आयु की छूट की पात्रता होगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

5.2 सभी पदों पर अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किये गये निर्देश लागू होंगे।

5.3 आयु के प्रमाणन के लिए जन्म प्रमाण—पत्र या 10वीं की अंक सूची मान्य होगा।

6. निवासः— अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण—पत्र ही मान्य होगा।

Scanned with OKEN Scanner

7. पदों हेतु आरक्षण:– नियुक्ति के लिए छ.ग. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 एवं उसके अधीन जारी नियम/निर्देश लागू होंगे। आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

8. कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी।

9. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा/होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

टीपः– कंडिका–08 एवं 09 के संबंध में चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रू. 50/– के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10. अनुभव के संबंध में निर्देश निम्नानुसार है :–

10.1 अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक अनुभव प्रमाण–पत्र मान्य होंगे।

10.2 किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण–पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।

10.3 शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण–पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।

टीपः– आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी (कलेक्टर सह अध्यक्ष, जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति) का निर्णय अंतिम होगा।

11. प्राप्त आवेदन पत्रों में से पात्र आवेदकों का ही अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट सूची तैयार करते हुए व्यक्तिगत साक्षात्कार एवं कौशल परीक्षा (जहां लागू हो) के आधार पर चयन सूची तैयार किया जावेगा।

12. नियुक्ति प्राधिकारी :– जिला स्तरीय पदों के लिए जिला–कलेक्टर (पदेन अध्यक्ष जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति) नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी होंगे।

13. अंकीय प्रणाली :– निर्धारित मापदंडों के आधार पर प्राप्त आवेदनों के आधार पर अभ्यर्थियों का प्रावीण्य सूची अंकीय प्रणाली के आधार पर तैयार किया जायेगा। मूल्यांकन हेतु अंकों की गणना निम्नानुसार होगी :–

13.1 अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांक के प्रतिशत पर 70 प्रतिशत अंक दिये जायेंगे।

13.2 निर्धारित न्यूनतम अनुभव पर कोई अंक देय नहीं होगा किंतु निर्धारित न्यूनतम अनुभव अवधि के पश्चात् प्रत्येक 01 वर्ष के अनुभव पर 02 अंक दिये जायेंगे, जो अधिकतम 10 अंक तक होगा।

13.3 उपरोक्त में से प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।

13.4 व्यक्तिगत साक्षात्कार या कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे। जिन पदों पर व्यक्तिगत साक्षात्कार एवं कौशल परीक्षा दोनो रखा जायेगा, वहां कौशल परीक्षा के लिए 10 अंक तथा व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए 10 अंक होंगे।

13.5 अभ्यर्थियों के प्रावीण्य सूची में समान अंक होने की दशा में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को चयन में वरीयता दी जायेगी। यदि उम्र भी समान हो, तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी को चयन में वरीयता दी जायेगी।

14. उपरोक्तानुसार अंकीय प्रणाली के आधार पर क्रमांक 13 के उप कंडिका 13.1 एवं 13.2 पर प्राप्त कुल अंको के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी। चयन हेतु प्रावीण्य सूची में से प्रत्येक पद के लिए एक अनुपात पांच (1:5) के अनुपात में व्यक्तिगत साक्षात्कार/कौशल परीक्षा हेतु आवेदकों को आमंत्रित किया जायेगा।

14.1 जिला बाल संरक्षण इकाई के पद में सामाजिक कार्यकर्ता हेतु व्यक्तिगत साक्षात्कार लिया जावेगा एवं आउटरीच वर्कर पद हेतु कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार लिया जावेगा।

14.2 चयन समिति द्वारा उपरोक्तानुसार प्राप्त अंकों के आधार पर समग्र प्रावीण्य सूची एवं प्रवर्गवार प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी। प्रावीण्य सूची में अपने प्रवर्ग में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का नियुक्ति आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा।

14.3 प्रत्येक पद के लिये 25 प्रतिशत अथवा 03 जो भी अधिक हो, अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जायेगा। चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची की वैधता, चयन सूची प्रकाशन तिथि से 01 वर्ष तक रहेगी।

15. नियुक्ति की अवधि :–

15.1 इन समस्त पदों पर प्रथम बार में अधिकतम 3 वर्ष या भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि जो भी पहले हो की अवधि हेतु नियुक्त किया जाएगा।

15.2 जिला बाल संरक्षण इकाई में कार्य की आवश्यकता होने पर वार्षिक कार्य मूल्यांकन एवं नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता का आंकलन कर एक बार में सेवा अवधि अधिकतम 03 वर्ष के लिए जिला स्तर पर जिला कलेक्टर (पदेन अध्यक्ष जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति) द्वारा अवधि वृद्धि करने का निर्णय लिया जा सकेगा। सेवा वृद्धि नहीं किये जाने की स्थिति में सेवा स्वमेव समाप्त मानी जाएगी।

15.3 चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी। विशेष परिस्थितियों में बिना कारण बतायें भी सेवा समाप्त की जा सकती है।

Scanned with OKEN Scanner

15.4 इन पदों की अवधि संविदा पद स्वीकृत होने तक ही सीमित होगी एवं तदोपरांत पद समाप्त कर दिये जायेंगे। पद समाप्ति के उपरांत इन पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

15.5 नियुक्ति के पश्चात भी यदि नियुक्ति संबंधी अर्हताओं एवं शर्तों का पूरा करना नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।

15.6 उपरोक्त समस्त पदों पर नियुक्त कर्मचारी भारत सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य अंतर्गत योजना के स्वीकृत पद है तथा भारत सरकार के दिशा–निर्देश एंव छ.ग. शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के पत्र कमांक 2489/239/सा./2023 50 दिनांक 4.10.2023 द्वारा जारी राज्य बाल संरक्षण समिति छत्तीसगढ़ की मानव संसाधन नीति 2023 द्वारा शासित होंगें।

16. आवेदन के संबंध में निर्देश निम्नानुसार है :–

16.1 आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रूटीपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे एवं इस संबंध में अभ्यर्थियों को कोई सूचना नहीं दी जायेगी।

16.2 प्रत्येक पद के लिए पृथक–पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है, लिफाफे के ऊपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है।

16.3 आवेदन पत्र केवल पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

16.4 आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण–पत्र एवं अन्य दस्तावेज स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित होना चाहिए।

16.5 निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा न करने पर चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।

16.6 आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त अभिलेख सत्यापन में जाली/गलत पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

17. चयन संबंधी विवाद की दशा में नियोक्ता का निर्णय अंतिम होगा।

18. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी https://janjgir-champa.gov.in पर देखी जा सकती है।

19. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में सही पता, ई–मेल आईडी व मोबाईल नं. का उल्लेख किया जावे, ताकि चयनित अभ्यर्थियों को सूचना दी जा सके।

टीप :–

1. दस्तावेज सत्यापन के समय समस्त वांछित दस्तावेजों की मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।
2. व्यक्तिगत साक्षात्कार/कौशल परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला : जाँजगीर–चाँपा (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/........../म.बा.वि./मि.वा./2025–26 जांजगीर दिनांक....../......../2025

प्रतिलिपि–

1. संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग, अटल नगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ
2. कलेक्टर, जिला जांजगीर–चाम्पा (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
3. सहायक संचालक, जन संपर्क विभाग की ओर समाचार पत्रों में नियमानुसार प्रकाशित करने हेतु।
4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. जांजगीर–चाम्पा को शासकीय वेबसाइट https://janjgir-champa.gov.in में अपलोड करने हेतु।
5. कार्यालय जिला कार्यकम अधिकारी महिला एंव बाल विकास विभाग जिला–जांजगीर–चांपा एवं विभागीय सूचना पटल पर चस्पा हेतु।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला : जाँजगीर–चाँपा (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner

आवेदन पत्र का प्रारूप

स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो पर हस्ताक्षर जिसका आधा आवेदन पत्र में होना चाहिए चस्पा करें

प्रति,

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

1. आवेदित पद नाम :–..
2. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :–..
(अंग्रेजी के केपिटल लेटर में) :–..
3. पिता/पति का नाम :–..
4. जन्मतिथि (अंको में) :–..
5. दिनांक 01.01.2026 को आयु :–..............वर्ष....................माह................दिन
6. लिंग (पुरूष/महिला) :–..
7. जाति/वर्ग (अनु.जा./अनु.जन.जा./अ.पि.व/सामान्य):–..

8. पत्र व्यवहार का पता :–..
....
....
मो.न. ....
ई–मेल ....

9. स्थायी पता :–..
....
....
मो.न. ....
ई–मेल ....

10. विवाहित/अविवाहित/विधुर/परित्यकता :–..
11. यदि आवेदक विवाहित है, तो विवाह की तिथि :–..
जीवित बच्चों की संख्या :–..
12. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्ध शासकीय/गैर सरकारी संगठन में सेवारत है? ....
13. शैक्षणिक योग्यता :– (जन्मतिथि एवं समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करें)

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/वि.वि. का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी

Scanned with OKEN Scanner

14. अन्य योग्यता का विवरण..

15. अनुभव प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

क्र.	संस्था का नाम	पदनाम	अनुभव का विवरण (कब से कब तक)	कुल अनुभव वर्ष	वेतन एवं पद छोड़ने का कारण

14. अनिवार्य संलग्नों की सूची– (आवेदन के साथ क्रमबद्ध संलग्न करें)

1. छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होने संबधी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
2. जन्म तिथि हेतु 10 वीं की अंकसूची/प्रमाण पत्र।
3. 12 वीं की अंक सूची।
4. स्नातक की अंक सूची।
5. स्नातकोत्तर की अंक सूची (पदअनुरूप आवश्यक होने पर)
5. विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र।
6. व्यवसायिक पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र (पदअनुरूप आवश्यक होने पर)
7. जाति प्रमाण पत्र।
8. रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र।

09. अन्य संलग्नों का विवरण:–

01. .... 02. ....

03. .... 04. ....

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम ....

घोषणा–पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि इस प्रपत्र में दिये गए समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी सर्वश्रेष्ठ जानकारी और विश्वास के अनुसार सही एवं सत्य है और यदि ये असत्य पाए जाते हैं, तो मेरी नियुक्ति निरस्त कर मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाने योग्य होगी।

स्थान :– ....

दिनांक :–..................................

आवेदक का हस्ताक्षर

Scanned with OKEN Scanner